



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 167 → अज्ञात विकस (Unauthorized development)
तथा योजना से असंगत उपयोग के लिए शाक्ति →

अज्ञात विकस →

- (i) बिना अनुज्ञा के (without permission)
- (ii) अनुज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करना / शर्तों का उल्लंघन करना
- (iii) अनुज्ञा के प्रतिरक्षण (revoked) के बावजूद भी विकस
- (iv) अनुज्ञा के उपान्तरण (modification) के विकस

→ 5000/- जुर्माना + 100 ₹/दिन

योजना से असंगत विकास → अनुशा के बिना किसी
योजना के उपकरणों के उपयोग
में किसी भूमि का उपयोग करना है

↓
दोषलिपि पर 2000 रु जुर्माना
+
500 रु/दिन

धारा 168 → अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति →

नगरपालिका → स्वामी को नोटिस देनी तथा 1 माह के भीतर-2 उसके विपक्ष में कुछ अपेक्षा होगी -

eg. विकास कार्य को प्रत्यावर्तित (vestore) कर दे
 (पूर्व स्थिति में लाना)

उपान्तरित अनुज्ञा ^(या) के अनुसार करें

परन्तु


भूमि के उपयोग को रोकना अपेक्षित है

↓
स्वामी के साथ-2 प्राधिकारी को भी
नोटिस तामील करवाया जा सकता है।

नोटिस जारी होने के बाद → व्यक्ति नगरपालिका में

अनुशासन आवेदन कर
सकता है।

नगरपालिका



सप्ताह-2 नगरपालिका भूमापनको Restore करेमा

↓
रनचोकी वसूली
भूमापनको अकार्याको
रूपमा कर ली जाती है

अभियोजित व्यक्ति दोषद्विती वी स्थितिमे

5000/-
+
200र/दिने

धारा 169 → अप्रोचित विकास को रोकने की शक्ति →

↓
नोटिस (स्वामी + विकास करने वाले को)
↓
(विकास कार्य रोकने हेतु)
↓

अगर कोई व्यक्ति नोटिस तामील होने के बाद भी विकास कार्य नहीं रोकता है

तब जुर्माना → 5000/-

+
500 ₹/दिन

धारा 170 → अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाया
जाना या रोकना →

↓
नगरपालिका आदेश (निरस्त)

आदेश प्राप्ति 15 दिन के भीतर हटाना होगा

↓
नहीं हटाया तो

↓
नगरपालिका बिना किसी नोटिस के स्वयं
हटा सकेगी

अपना - रकड़ी फलन (6 माह का समय दिया जाता है)

धारा 121 → भूखण्ड के उपविभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी →

↓
layout अभिविन्यास तथा अन्य विवरणों को पीस के साथ नगरपालिका को प्रस्तुत करना है
↓

नगरपालिका { → या तो स्वीकार / मंजूरी
→ या अस्वीकार
→ या उपांतरणों के साथ स्वीकार

मंजूरी से मना करने के बाद भी व्यक्ति कार्य करेगा

नोटिस शामिल होने के
बाद भी नहीं दले

नगरपालिका
नोटिस देगी है
(Restoration हेतु)

↓
जुमाना =) 5000/-
+
200/दिन

धारा 172

उपगत व्यय की वस्तु



धारा 168, 169, 170, 171 के तहत उपगत व्यय
की वस्तु

1. भू-राजस्व की वकालत के रूप में की जायेगी

धारा 173

→

परियोजनाएँ (project) तथा स्कीमों (schemes)
का बनाया जाता

नगरपालिका किसी भी योजना के क्रियान्वयन
द्वारा या नगर के किसी भाग के एकीकृत
विकास हेतु परियोजना व स्कीम बना
सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे।

धारा 174 -> परियोजना व स्कीमों की तैयारी ->

↓
नगरपालिका संकल्प द्वारा इस प्रकार की घोषणा करेगी

↓
घोषणा के तत्पश्चात् के भीतर ऐसी घोषणा को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी।

↓
प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर परियोजना/स्कीम तैयार करेगी

↓

आक्षेप व सुझाव आमंत्रण हेतु नोटिस जारी

(-दूनतम समय ^{नोटिस के} प्रकाशन की तारीख से 30 दिन)

निश्चित ^{कालावधि} के भीतर ^{प्राप्त} आक्षेप व सुझावों पर विचार + सुनवाई का प्रस्ताव

उपांतरण / बिना उपांतरण के लाभ अनुमोदन

पुरतब बाद राजन में प्रकाशित

धारा 175

पुनर्विकास स्कीम (Redevelopment scheme)

C E 0

उस क्षेत्र के निवासियों के
संगठन के लिए संरक्षित
या हानिकारक परिस्थितियों
वाली जगह/अवस्था/स्थान

उस क्षेत्र की दरामों से
निपटने का संतोषपूर्वक
नतीजा पुनर्विकास ही है

धारा 176

परियोजना या स्कीम को अनुमोदन हेतु
नगरपालिका को प्रस्तुत काला

होने स्कीम ल्याए की

नगरपालिका को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की

नगरपालिका

- या तो मंजूरी
- या ना मंजूरी
- या उपरोक्तो सहित मंजूरी
- या नई स्कीम हेतु निदेश दे

धारा 177 → किसी भी स्कीम की घोषणा के बाद प्रमि
के उपयोग व विकास पर निर्बंधन (restriction)

धारा 178

स्कीम का व्यपगत होना (lapse) होना -

↓
प्रकारण के पश्चात् दो वर्ष के भीतर
क्रियान्वयन में विफल रहने पर

धारा 179 ⇒

परियोजना / स्कीम का ^(modification) उपांतरण या प्रत्याहरण (withdrawal) →

प्रत्याहरण

↓
 जांच के पश्चात यदि नगरपालिका की संमति ↓
 [तो राज्य में अधिसूचना द्वारा]

उपांतरण ⇒ वस्तु वस्तु उपांतरण (material alteration)
 → नली कर सकता है







THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

